चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(Established by Parliament Act-16 of 1970)

5-9-18

रामधन सिंह बीज फार्म के फल की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रामधन सिंह बीज फार्म के क्षेत्र व.ह.कृ.वि. के गेट नं. 4 में निम्नलिखित फलदार वृक्षों के 17.09.2018 से 16.09.2019 तक के फल तोड़ने व बेचने के अधिकार देने हेतु खुली बोली दिनांक 15.09.2018 को **11:00** बजे रामधन सिंह बीज फार्म हिसार पर की जाएगी। बोलीदाता बाग का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:00 से दोपहर 4:30 तक कर सकते है.। हर बोली दाता को 5000 रूप्ये धरोहर राशि जमा करानी होगी। सफल बोली दाता को संलग्न की गई शर्त स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी, वरना निविदा रदद कर दी जाएगी एंव धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय को सबसे ऊंची बोली को मानने य रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।

क्र. सं.	फलों के नाम
1.	अमरूद
2.	आंवला
3.	बेलगिरी

5.9.18

निदेशक, रामधन सिंह सीड फार्म
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि, हिसार।
दूरभाषः 01662–255433

नियम व शर्ते

1. वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्य के लिए वृक्षों का चुनाव कर सकते है।
2. फल वृक्ष को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
3. बाग में सिंचाई नहर में पानी पर निर्भर करेगी और ठेकेदार को स्वयं पानी लगाना होगा।
4. बाग में बहाई, कीटनाशक व खाद का छिडकाव ठेकेदार को करना होगा। खाद व दवाई ह0 कृ0 वि0 द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
5. बाग की सभांल का कार्य (निराई, गुड़ाई, खरपतवार नियत्रंण) ठेकेदार का होगा।
6. बाग में किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की विभाग पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
7. सरकारी बोली का फैसला कमेटी करेगी।
8. सफल बोलीदाता को ठेके की रकम का आधा हिस्सा एक दिन के अंदर देना होगा व बाकी एक महीने के अन्दर देना होगा।
9. धरोहर राशि ठेका पूरा होने पर इन्चार्ज से **No dues certificate** देने के बाद वापिस की जाएगी।
10. अगर सफल बोलीदाता, बोली छूटने पर बोली की राशि का आधा हिस्सा एक दिन में जमा नहीं करता, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और नीचे वाले बोली दाता को ठेका दिया जाएगा।
11. किश्त समय पर न देने पर फलों की तुड़ाई बंद कर दी जाएगी और जब तक किश्त जमा नहीं होती फल नहीं तोड़ने दिए जाएंगे।
12. अगर किश्त समय पर नहीं दी तो उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। निदेशक को अधिकार होगा कि अगर व ठेकेदार से संतुष्ट नहीं है तो उसे हटा सकते हैं।
13. ठेकेदार द्वारा किसी नियम का उल्लघंन करने पर जुर्माना किया जा सकता है।
14. फल की तुड़ाई ठीक समय पर करनी होगी तथा इंचार्ज की अनुमति से करनी होगी।
15. ठेकेदार के पास काम करने वाले सभी सदस्यों को अपना पासपोर्ट साईज फोटो विभाग में जमा करवाना होगा।
16. ठेकेदार बाग को किसी दूसरे व्यक्ति को आगे ठेके पर नहीं दे सकता।
17. सफल ठेकेदार को नीलामी के एक सप्ताह के अन्दर 15 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नीलामी शर्तो का ऐग्रीमेंट दो गवहों के हस्ताक्षर सहित देना होगा।
18. अनैतिक एवं असामाजिक कार्य रामधन सिंह बीज फार्म में निषेध हैं। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा जुर्माना किया जाएगा।

प्रतिलिपिः

1. फार्म निदेशक
2. अनुसंधान निदेशक
3. सभी विभागध्यक्ष, सी.ओ,ए
4. नोटिस बोर्ड
5. ठेकेदार सभी
6. एच.ए.यू. वेबसाईट

6/9/18 Mr. B.R.